न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 399/2019 (157/2019)
GCMS NO. : 2019/00101

–: वादीगण :–
1. डोली बनाम मन्दिर श्री माताजी जरिये पुजारी
1/1. छगनाराम पुत्र धुकलराम
1/2. रघुनाथ पुत्र धुकलराम
1/3. ओमप्रकाश पुत्र परसाराम
जतियान राव (भाट) निवासीगण बलाडा तहसील जैतारण।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–
1. शंकर पुत्र प्रभुराम
2. श्रीमति कैलाश पत्नि अमरा
3. ओमप्रकाश पुत्र अमरा
जतियान राव (भाट) निवासीगण बलाडा तहसील जैतारण।

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 25/09/2019

उपस्थितः–
1. श्री तुलसाराम माली, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 30/07/2021

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बलाड़ा पटवार हल्का बलाड़ा तहसील जैतारण जिला पाली (राज) में खसरा नम्बर 756 रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा व खसरा नम्बर 759 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा कुल खसरा 02 कुल रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल डोली बनाम मन्दिर श्री माताजी के नाम की कृषि भूमि आई हुई है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सम्वत् 2073 से 2076 की इस वादपत्र के साथ पेश की जा रही है जिसको इस वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। पद संख्या 01 मे वर्णित भूमि डोली बनाम मन्दिर श्री माताजी के नाम की आई हुई है जो मूर्ती शास्वत जो नाबालिग है। वादीगण मन्दिर के पुजारी के हैसियत से वादपत्र पेश कर रहे है। जिसकी अनुमति बाबत आदेश 32 का अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बाद अनुमति वादपत्र पेश किया जा रहा है। पद संख्या 01 में वर्णित भूमि डोली बनाम मन्दिर श्री माताजी की है। वादीगण उक्त मन्दिर के पुजारी है तथा सेवा पुजा करते आ रहे है तथा उक्त भूमि की काश्त भी करते व करवाते आ रहे है। जिसका इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत् 2041 से 2044 [illegible] रूप से साबित है। नकल जमाबन्दी वादपत्र के साथ पेश [illegible] उक्त भूमि पर वादीगण जमीन बोने के लिये गये [illegible] प्रतिवादीगण [illegible] किसी हक व अधिकार के उक्त भूमि पर आकर दखलन्दाजी की व उक्त भूमि [illegible] जोतने से रोका तो वादीगण ने कहा कि तुम ऐसा क्यो कर रहे हो तो उन्होने कहा कि उक्त भूमि मन्दिर की हैं। तुम्हारे खातेदारी की नही है व ऐलानिया कहा कि उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:41:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

भूमि हम तुमे किसी भी हालत में जोतने नही देगें। वादीगण उक्त भूमि के पुजारी है तथा उक्त भूमि पर लम्बे समय से मूर्ती की ओर से काश्त करते व करवाते आ रहे है। यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादो में सफल हो जाते है तो वादीगण ऐसा हरगिज होने नही देगें। जिसके लिये उनको विविध प्रकार के दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पड़ेगें। जिससे वादीगण को असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ती किसी भी कदर सम्भव नही होगी। वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही होने से यह स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है। बिनाय दावा दिनांक 15.07.2019 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम बलाड़ा में पैदा हुआ जो श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है। वादीगण की इस्तदुआ निम्न है अ- कि डिक्री व निर्णय बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण की इस आशय की जारी फरमाई जावें कि पद संख्या 01 मे वर्णित भूमि में वादी का काश्त करे, काश्त मुतालिक तमाम कार्य निराई बुवाई, कटाई आदि करे तो प्रतिवादीगण व उनके नौकर हाली ऐजेन्ट व उसके परिवार के सदस्य दखल व दस्तन्दाजी न तो स्वयं करे न अन्य किसी से करवावें। जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के हमेशा के वास्ते रोका जावें।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण को बार-बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन् सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य के शपथ-पत्र P/W 01, P/W 02, P/W 03 दिनांक 07.04.2021 को पेश किया। दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये गये, जो सा.मि. है। बहस वकील वादी की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हमनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनते हुए उस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं भू-अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 756 रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा व खसरा नम्बर 759 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा कुल खसरा 02 कुल रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल जो ग्राम बलाडा तहसील जैतारण में स्थित है तथा डोली बनाम मन्दिर श्री माताजी के नाम दर्ज है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि मन्दिर मूर्ति के नाम दर्ज है जो शाश्वत नाबालिग है। वाद-पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा मन्दिर के पुजारी के हैसियत से वाद प्रस्तुत कर स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की मांग की है। वाद पत्र एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र प्रदर्श-1 में वादीगण ने यह कथन किया है कि वादीगण मन्दिर के पुजारी की हैसियत से वादग्रस्त भूमि पर काश्त करते करवाते आ रहे है। अव्वल तो वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि वह वादग्रस्त आराजी से संबंधित मन्दिर का पुजारी है, दोयम पुजारी या सेवक का मंदिर मूर्ति की आराजी में कोई हक एवं अधिकार निहित नहीं होता। अतः उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि शाश्वत

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:41:11 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

नाबालिग मंदिर मूर्ति की वादग्रस्त आराजी पर वादीगण द्वारा बिना किसी हक/अधिकारों के विधि विरूद्ध कब्जा किया जाकर व्यक्तिगत उपयोग/उपभोग किया जा रहा है। वादग्रस्त आराजी में वादीगण का हक-अधिकार किन विधिक प्रावधानों के तहत निहित है इस सम्बन्ध में वादीगण ने ना ही कोई साक्ष्य दस्तावेज व कोई न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की है। अतः पुजारी के हैसियत से काश्त किये जाने से वादीगण का वादग्रस्त आराजी में किस प्रकार हक-अधिकार निहित है, यह साबित करने में विफल रहे है।

प्रस्तुत वाद में वादी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 32 नियम 1 पेश कर अव्यस्क मंदिर मुर्ति की ओर से वाद प्रस्तुत करने की न्यायालय हाजा से अनुमति ली परन्तु वादपत्र के अनुतोष के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा डोली बनाम मंदिर श्री माताजी के लिए कोई अनुतोष ना चाह कर ब्लकि केवल व्यक्तिगत अनुतोष ही चाहा गया है जो कि मान्य नहीं है। वादीगण द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर व्यक्तिगत अनुतोष चाहा गया है जबकि केवल खातेदार ही स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर संबंधित अनुतोष मांग सकता है। वादीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार नहीं है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण यह साबित करने में पूर्णतया विफल रहे है कि वें किस प्रकार डोली बनाम मंदिर माताजी के नाम दर्ज आराजी में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः हम वादी का वाद बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित समझते है। साथ ही प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के संबंध में तहसीलदार जैतारण को इस निर्देश के साथ निर्णित करना उचित समझते है कि वादग्रस्त आराजी का संरक्षण, संवर्द्धन एवं प्रबंधन प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार के आदेशांक 2002 दिनांक 07.12.2009 में प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप करवाएंगे एवं नाबालिग मंदिर मूर्ति की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने वालों व्यक्तियों को मौके से बेदखल करेंगे। भूमि को अस्थाई रुप से एक साला काश्त पर देंगे तथा प्राप्त आय का उपयोग मंदिर एवं मंदिर की भूमि के विकास के लिए किया जायेगा।

–:: आदेश ::–

अतः वादी का वाद बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज किया जाकर तहसीलदार जैतारण को यह निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी का प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान सरकार, के आदेशांक प. 6(17)प्र.सु./अनु.3/2002 दिनाँक 07.12.2009 में प्रदत्त निर्देशों की [illegible] में प्रबंधन, संवर्द्धन एवं संरक्षण करते हुए उसे अस्थाई [illegible] साला काश्त पर देकर प्राप्त आय का उपयोग वादग्रस्त [illegible] मंदिर के विकास एवं प्रबंधन में करें। साथ ही भविष्य में किसी प्र[illegible] के अतिक्रमण की दशा में विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्राँक 3(2)राज.6/2007/पार्ट/5 दिनाँक 12.09.2018 एवं पत्राँक 3(2)राज.6/2007/पार्ट दिनाँक

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:41:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पा[illegible]

0.08.2020 में प्रदत्त निर्देशानुसार कार्यवाही करें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-पाली (राज0)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 30/07/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-पाली (राज0)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:41:11 IST
Reason: SelfAttested